बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास(राजपत्रित)–01/2026–42 पटना, दिनांक–13.04.2026

'कार्यालय आदेश'

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए न्यायिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर पटना केन्द्रीय पूल से ई–टाईप आवास, गर्दनीबाग आवंटित किया जाता है:–

क्र.सं.	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग	आवंटित आवास सं0
1.	BG1887	**श्री गजनफर हैदर,** अध्यक्ष	राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण	E3/302 गर्दनीबाग

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
3. नये आवंटी पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

क्र0	आवास का टाईप	मासिक मानक किराया	मासिक मेंटेनेंश चार्ज	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	**ई–टाईप आवास**, गर्दनीबाग	₹1290	₹1720	₹3010

उपर्युक्त मासिक चार्ज आवासी के संबंधित कार्यालय द्वारा प्रतिमाह जमा किया जाना है।

5. विभागीय पत्रांक–9516, दिनांक–10.10.2025 के आलोक में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय से आवंटित आवास का मानक किराया/मेंटेनेंश चार्ज का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना शीर्ष के विषय शीर्ष कार्यालय व्यय मद से किया जाना है।

6. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।

7. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

13/4/2026

(विनय कुमार)
अपर सचिव।

ज्ञापांकः–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(राजपत्रित)–01/2026–3506(अ) पटना, दिनांकः–**13.04.2026**

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित आवंटी पदाधिकारी/मुख्य अभियंता (पटना)/कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/2026

अपर सचिव।